

प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 24.03.24

<u>क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्वरेट गाजियाबाद द्वारा 01 शातिर अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार कब्जे</u> से चोरी का 01 ट्रैक्टर बरामद

दिनाँक-23/03/2024 को क्राईम ब्रॉन्च पुलिस किमश्नरेट गाजियाबाद द्वारा एनसीआर में ट्रैक्टर चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के एक शातिर सक्रिय सदस्य को थाना कविनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी का 01 महिन्द्रा ट्रैक्टर बरामद हुआ।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त भूपेन्द्र उर्फ हीरा ने बताया कि वह छठी फेल है गाँव मे उसके पास 02 बीघा खेत है जिसमे घर का गुजारा नहीं हो पाता है तो वह दिल्ली में बिजली फिटिंग का काम करने लगा, उसका व उसके साथी रामनरेश, रिव, कृष्ण व माधव उर्फ महेश का ट्रैक्टर चोरी करने का एक गिरोह है ये सभी मिलकर नोएडा, गाजियाबाद व दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र से ट्रैक्टर चोरी करते है तथा चोरी किये ट्रैक्टरों को ये लोग राजस्थान में बेच देते है जो ट्रैक्टर उससे बरामद हुआ है वह भी उसने अपने उपरोक्त साथियों के साथ मिलकर खोडा क्षेत्र से चोरी किया था। चोरी किये हुए ट्रैक्टरों को बेचने पर जो रूपये मिलते है उसको ये सभी लोग आपस में बराबर-बराबर बाँट लेते है तथा हिस्से में आये रूपयों से ये अपने घर के खर्चे व अपने शौक पूरे करते है।

विस्तृत पूछताछ पर अभियुक्त भूपेन्द्र उर्फ हीरा ने बताया कि इसके गिरोह के सदस्यों ने नोएडा गाजियाबाद व दिल्ली एन0सी0आर0 से पूर्व में कई ट्रैक्टर चोरी किये है जिसमें इसके गिरोह ने 02 ट्रैक्टर करीब 05 माह पूर्व खोडा क्षेत्र से व 02 ट्रैक्टर थाना कविनगर क्षेत्र से चोरी किये थे। नवम्बर माह में रामनरेश, रवि व कृष्ण निवासीगण राजस्थान थाना कविनगर से गिरफ्तार होकर जेल चले गये थे जिनके कब्जे से थाना खोडा क्षेत्र से चोरी 01 महिन्द्रा ट्रैक्टर बरामद हुआ था जिसमें भूपेन्द्र उर्फ हीरा उपरोक्त व माधव उर्फ महेश वाँछित चल रहे है गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जो पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है।

अभियुक्त से पूछताछ पर ट्रैक्टर व अन्य वाहन चोरी करने वाले अपराधियों के सम्बन्ध में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं जिसके आधार पर टीमें बनाकर बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दिबशें दी जा रही हैं निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से जनपद गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रों में ट्रैक्टर चोरी की घटनाओं पर रोक लगेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

भूपेन्द्र उर्फ हीरा पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम देओखेडा थाना राजा खेडा जनपद- धौलपुर राजस्थान उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी:-

1. चोरी का 01 महिन्द्रा ट्रैक्टर

आपराधिक इतिहासः-

1.अभियुक्त भूपेन्द्र उर्फ हीरा के विरूद्ध दिल्ली में 02 अभियोग, राजस्थान में 01, आगरा में 05 अभियोग, गौतमबुद्धनगर में 01 व गाजियाबाद 04 कुल 13 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

काईम ब्रान्च पुलिस कमिश्वरेट गाजियाबाद द्वारा थाना मुरादनगर के गैंगस्टर के अभियोग में फरार एंव 20,000/- रू० का ईनामी अपराधी गिरफ्तार

क्राईम ब्रान्च पुलिस किमश्नरेट गाजियाबाद द्वारा दिनाँक-24/03/2024 को थाना मुरादनगर गाजियाबाद के गैंगस्टर के अभियोग में फरार शातिर अभियुक्त गुलजार को गंगनहर पटरी थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्तवपूर्ण सफलता अर्जित की। अभियुक्त गुलजार उक्त गैगस्टर के अभियोग मे लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस उपायुक्त ग्रामीण जोन द्वारा दिनांक-22/02/2024 को रू० 20,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि वह अनपढ है मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है तथा दिल्ली मे ई-रिक्शा चलाता है। अभियुक्त गुल्जार ने बताया कि उसका रैपिड मैट्रो लाईन से ताँबे के तार चोरी करने वाले चोरो का एक गिरोह है जिसमे उसके अलावा सैफ मिलक, जुलफुकार उर्फ जुल्लू, जावेद, कलीम उर्फ सिद्धू, जावेद मिलक व समीर मिलक गैंग के सिक्रय सदस्य है। उसका गिरोह नोएडा, गाजियाबाद व दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र मे मैट्रो व रैपिड मैट्रो की लाईन से ताँबे के तार चोरी करते है तथा चोरी के ताँबे के तारों को बेचने से जो रूपये मिलते है उसको ये लोग आपस मे बराबर-बराबर बाँट लेते है हिस्से मे आये रूपयों से मैं अपने घर के खर्चे व अपने शौक पूरे करते हैं। पूर्व में इनके द्वारा जनपद गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी, लिंक रोड, इन्दिरापुरम व मुरादनगर क्षेत्र स्थित मैट्रो व रैपिड मैट्रो की लाईन से ताँबे के तार चोरी करने की कई घटनाओं को अंजाम दिया गया था जिसमे दिनाँक-09/08/23 को गिरोह के सभी सदस्यों को क्राईम ब्रान्च द्वारा गिरफ्तार कर थाना मुरादनगर से जेल भेजा गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता- गुलजार पुत्र मुख्तार निवासी शिवपुरी आलोक पार्क के पास हावडा कोलकाता पश्चिम बँगाल हाल निवासी हाशिम का मकान पी-19 गली न0-02 बसरूद्दीन मस्जिद के पास ओखला बाटला हाऊस थाना जामिया नगर दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष

आपराधिक इतिहासः-

1. अभियुक्त गुलजार के विरूद्ध गाजियाबाद में 09 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा मिलावटी मावा बनाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 कुंतल मिलावटी मावा, 2.5 कुंतल चूरमा, 40 किलोग्राम मिल्क पाउडर, 20 किलोग्राम चीनी का बुरादा(बूरा), 20 किलोग्राम यूरिया, 05 कनस्तर टीन वनस्पति ऑयल तथा मिलावटी मावा बनाने के उपकरण बरामदा

दिनांक 23/24.03.2024 को थाना भोजपुर पुलिस ने मिलावटी मावा की सूचना मिलने पर त्विरत कार्यवाही करते हुए ग्राम कलछीना थाना भोजपुर जियाऊल की कोल्ड ड्रिंक की एजेन्सी के सामने वाली गली में महबूब के मकान के बराबर के मकान से 03 कुन्तल मिलावटी मावा, 2.5 कुंतल चूरमा, 40 किलो मिल्क पाउडर, 20 किलो चीनी का बुरादा(बूरा), 20 किलो यूरिया, 05 कनस्तर टीन वनस्पित आयल व मिलावटी मावा बनाने के उपकरण बरामद कर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा मौके से फरार 02 अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। **बरामदगी**-

कुल 03 कुन्तल यूरिया निर्मित मिलावटी मावा, 2.5 कुंतल चूरमा, 40 किलो मिल्क पाउडर, 20 किलो चीनी का बुरादा(बूरा), 20 किलो यूरिया, 05 कनस्तर टीन वनस्पति आयल व बनाने के अन्य उपकरण कीमत लगभग 1,50000 रुपये।

खाद्य विभाग टीम द्वारा मौके से बरामद मिलावटी मावा को परीक्षण हेतु सैम्पल (नमूना) लेने के पश्चात् आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से नियमानुसार मौके पर ही नष्ट कराया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तों का नाम व पता

- 1- महबूब पुत्र आस मोहम्म्द निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाज़ियाबाद उम्र 45 वर्ष (गिरफ्तार)
- 2-पिन्टू उर्फ शहाबुल पुत्र शौकीन निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर (मौके से फरार)
- 3.हारून पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाज़ियाबाद (मौके से फरार)

आपराधिक इतिहास-

- 1-पिन्टू उर्फ शहाबुल पुत्र शौकीन निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर (मौके से फरार) पर थाना भोजपुर -2 मिलावटी मावा,थाना मंसूरी-01 चोरी , थाना लोनी बॉर्डर -1 गैगस्टर पंजीकृत।
- 2.हारून पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाज़ियाबाद (मौके से फरार) थाना भोजपुर गुण्डा अधिनियम -1,बलात्कार-1,एनडीपीएस-1

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

दिनांक 24.03.2024 को थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 02 शातिर अभियुक्त 1.वाजिद पुत्र अनवर निवासी गरिमा गार्डन गोल चक्कर के पास उमर मस्जिद थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष, 2. वारिश पुत्र अनवर निवासी गरिमा गार्डन गोल चक्कर के पास उमर मस्जिद थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को तुलसी निकेतन दिल्ली

बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया, कब्जे से 02 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद। अभियुक्तों उपरोक्त के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

- 1. वाजिद पुत्र अनवर निवासी गरिमा गार्डन गोल चक्कर के पास उमर मस्जिद थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष।
- 2. वारिश पुत्र अनवर निवासी गरिमा गार्डन गोल चक्कर के पास उमर मस्जिद थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

अभियुक्त वाजिद उपरोक्त से 01 किलो 150 ग्राम व अभियुक्त वारिश से 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास

- 1. अभियुक्त वाजिद उपरोक्त के विरुध्द थाना शालीमार गार्डन पर लूट का एक अभियोग व थाना साहिबाबाद पर मारपीट ,छेडछाड का एक अभियोग पंजीकृत है।
- 2. अभियुक्त वारिश उपरोक्त के विरुध्द थाना इंदिरापुरम पर लूट के 5 अभियोग , 01 अभियोग गैंगस्टर व थाना साहिबाबाद पर स्वापक औषधि सम्बन्धित एक अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 450 ग्राम चरस कीमत लगभग 2,50,000/- रुपये व घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद।

दिनांक 24.03.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त अरमान पुत्र असलम नि0 50 फुटा रोड जिम वाली गली में शमशाद के मकान के बराबर में रामपार्क थाना ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद उम्र लगभग 19 वर्ष को ताहिर पुर वार्डर डीएलएफ के पास शालीमार गार्डन गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से अवैध 450 ग्राम चरस कीमत लगभग 2,50,000/- रुपये व घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद हुई। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द सुसंगत धारओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अरमान पुत्र असलम निवासी- 50 फुटा रोड जिम वाली गली में शमशाद के मकान के बराबर में रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र लगभग 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- अवैध 450 ग्राम चरस कीमत लगभग 250000/- रुपये।
- घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद।

दिनांक 24.03.2024 को थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 शातिर अभियुक्त 1. सोनू कसाना पुत्र अमर सिह निवासी ग्राम रिस्तल तालाब के पास थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष को तुलसी निकेतन दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

सोनू कसाना पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम रिस्तल तालाब के पास थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण

अवैध 10 लीटर कच्ची शराब बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 24.03.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक शातिर अभियुक्त आजाद अली पुत्र नईम अली निवासी निकट सुनहरी मस्जिद लाला की दुकान के पास मौसम विहार, पसौडा थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को 80 फुटा रोड बैरियर शालीमार गार्डन गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अवैध तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

आजाद अली पुत्र नईम अली निवासी निकट सुनहरी मस्जिद लाला की दुकान के पास मौसम विहार, पसौडा थाना टीलामोड,गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 पेटी रॉयल ग्रीन क्लासिक ग्रेन व्हिस्की ब्रांड की विदेशी शराब तथा अभियुक्त की निशान्देही पर उसके किराये के मकान से अवैध विदेशी शराब के 221 पव्वे, 31 अद्धा एवं 12 बोतल तथा 180 कैन बीयर तथा घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी बरामद।

दिनांक 24.03.2024 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम व आबकारी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त 1.अमित सिंह निवासी खेडा देवता मंदिर भोवापुर के पास नीलू के मकान में किरायेदार कौशाम्बी गाजियाबाद को खेडा देवता मंदिर भोवापुर से पहले गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 पेटी रायल ग्रीन क्लासिक ग्रेन व्हिस्की ब्रांड की विदेशी शराब व घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी टीवीएस ज्यूपिटर बरामद हुई। अभियुक्त की निशान्देही पर उसके किराये के मकान से अवैध विदेशी शराब के 221 पव्वे, 31 अद्धा एवं 12 बोतल तथा 180 कैनबीयर बरामद हुये। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उक्त काम में 02 अभियुक्त 1.सुमित पुत्र राम सिंह निवासी 212 सेक्टर3 वैशाली थाना कौशाम्बी जनपद गाजिबाद (नामजद/फरार) व 2. सौरभ पुत्र सुरेन्द्र निवासी 1403 बी, DDA लैटगाजीपुर, थाना गाजीपुर दिल्ली थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 52 वर्ष (नामजद/फरार) दोनो उसका साथ देते थे व मिलकर काम करते हैं। अभियुक्तगण के विरुद्ध सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

- 1. अमित सिंह निवासी खेडा देवता मंदिर भोवापुर के पास नीलू के मकान में किरायेदार कौशाम्बी गाजियाबाद।
- 2. सुमित पुत्र राम सिंह निवासी 212 सेक्टर3 वैशाली थाना कौशाम्बी जनपद गाजिबाद (नामजद/फरार)।
- 3. सौरभ पुत्र सुरेन्द्र निवासी 1403 बी, DDAलैटगाजीपुर, थाना गाजीपुर दिल्ली थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 52 वर्ष (नामजद/फरार)।

बरामदगी का विवरण

- अवैध विदेशी शराब के 221 पब्वे, 31 अद्धा , 12 बोतल व 500 एमएलधारिता के 180 कैनबीयर बरामद।
- 01 पेटी रायल ग्रीन क्लासिक ग्रेन व्हिस्की ब्रांड की विदेशी शराब व घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी टीवीएस ज्यूपिटर बरामद।

अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास

अभियुक्त अमित उपरोक्त के विरुध्द थाना कौशांबी पर आबकारी अधिनियम के 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस व आबकारी टीम।